

दाखल ता. 4 MAR 2015

सहाय्यक अधीक्षक
लोहमार्ग न्यायालय, दौंड

C.C. NO.

764
15

परिवाद-पत्र

मा.न्यायदण्डाधिकारी सो.प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय,दौण्ड की सेवा में सविनय सादर

01. RPF थाना :- लोनी
02. मामला रजि.क्रमांक :- 242 /2015.
03. धारा :- 155 रेल अधिनियम
04. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 24.03.2015 को समय 08.20 बजे
05. घटनास्थल :- 7 म 0 12032 रेल लाईन विकलांग कोच में अनाधिकृत
06. फरियादी का नाम व पता :- आ.प्र.अ. 01/01/216 किला पब्लिक RPF/थाना/लोनी
07. संलिप्त व्यक्ति का नाम व पता :- मो.देश 56 मिमराय जाधव 34 32वर्ष,
पता- कान्हा, कुपीकोट नगर, लांताकुन (गुर्जर)
08. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
09. मा.न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 24.03.2015 को समय 11.00 बजे
10. जांच अधिकारी का नाम व पता :- सो.पान 11 भा.प.मो. ASI/SPPF/RPF/थाना/लोनी
11. घटना की संक्षिप्त हकीकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 24.03.2015 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति द्वारा कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से उपरोक्त रेल के विकलांग कोच में चढ़कर यात्रा करने वगैरह रेल अधिनियम की धारा 155 उल्लंघन किया है। कारणवश उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानुनी कार्यवाही होने हेतु मा.न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ति के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर :- 24/3/15

संलग्न दस्तावेज :- फरियाद, नोटीस

मे.हु.को.जा.व्हावे.

निरीक्षक

आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

महाराष्ट्र गन्हा केबल ब्यान्स

२५/०३/१५

समक्ष

२५/०३/१५

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड,

24 MAR 2015

... The contents of Plea read...
... explained in vernacular in which he
understood and voluntarily pleaded guilty for
the Commission of Offence P.U.S. 156 Rly Act.
Hence he is convicted and Sentenced
to Pay a Fine of Rs. 300/- I.D.B.

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund.

24 MAR 2015

रड जमा 300
पावती क्र 0262888

सह: जमीनदार,
दंडाधिकारी जामनाथ दौंड